POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति दिनाकं 14.03.2023

1. **थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा, ठक-ठक गैंग के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 27 लेपटॉप, 08 बैग खाली, कैमरा मय बैग, 06 गुलेल मय 61 लोहा छर्रा, 05 डब्बी बन्द लोहा छर्रा, नकद 3500/- रूपये, विदेशी करैंसी, 01 स्मार्ट वॉच मोटरोला कम्पनी, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, 17 अलग अलग कम्पनी के चश्मे, 04 मोबाइल आदि व दो सीज शुदा घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।**

घटनाक्रम का विवरण -- दिनांक 14-03-2023 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा ठक ठक गैंग के 04 चोर 1. संजय उर्फ माईकल पुत्र अय्यपा निवासी डी-114 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली 2. अमित पुत्र सुन्दर राज निवास म0न0 229 ब्लाक एच-1 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली 3 .विक्रम पुत्र मनिअप्पा निवासी ब्लाक ए-फस्ट मकान न0 -241 मदनगीर दिल्ली 4. विग्नेश उर्फ विक्की पुत्र मुरगन निवासी म0नं0 42 जीवन पार्क ब्लाक डी-2 गली नं0 2ए उत्तम नगर दिल्ली को मेट्रो फ्लाई ओवर के नीचे सेक्टर 44 से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- यह एक चेन्नई गैंग है जो कि घटना करने के बाद चेन्नई भाग जाते हैं। अभियुक्त गण ने पूछताछ में बताया है कि उनके द्वारा हाल ही में चेन्नई में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।
1- एनसीआर क्षेत्र में भीड़ भाड़ क्षेत्र व मार्केट में खडी गाडियों के शीशा तोडकर लेपटॉप व अन्य सामान की चोरी करने वाले गैग का लीडर संजय उर्फ माईकल है जो अपने साथियों के साथ मिलकर लेपटॉप व सामान भारी मात्रा में चोरी करके संजय उर्फ माईकल की पत्नी सिमरन, शशि, राजेश और विशाल के माध्यम से नेहरू प्लेस दिल्ली में बेचते थे। 2. दिल्ली के पॉस इलाको में किराये पर फ्लैट लेकर रहते है जिससे इनकी गतिविधियों पर कोई शक नही कर सकें। 3. इस गैग के सदस्य राहु ल के विरूद्व दिल्ली पुलिस द्वारा मकोका अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस संजय उर्फ माईकल को तलाश कर रही है। जो दिल्ली के अभियोगों में वांछित चल रहा है। 4. अभियुक्त दो स्कूटी पर सवार होकर चलते है। एक स्कूटी अभियुक्तों द्वारा रैकी कर गाडी को चिन्हित करके दूसरे स्कूटी पर सवार अभियुक्तगण को बताया जाता है कि किस गाडी में सामान व लेपटॉप रखा है। 5.

अभियुक्तों द्वारा एनसीआर व एनसीआर के आसपास के जनपद गौतमबुद्वनगर के बाजार व मॉल के बाहर खडी गाडियों में रखे बैग को चिन्हित कर गुलेल में छर्रे लगाकर शीशा तोडकर बैग व लेपटॉप चोरी करके ले जाते है तथा चोरी किये गये बैग व लेपटॉप को बेच देते है। इन अभियुक्तों के विरूद्व थाना सेक्टर 39 द्वारा गैगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। 6. अभी तक की पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है।7. जनपद के 20 से अधिक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्तगण द्वारा गाडियों से शीशा तोडकर घटनाओं को अंजाम देते हुए पाया गया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई अभियुक्त विक्की द्वारा पहनी गयी हुड्डी भी पुलिस द्वारा बरामद की गयी है।

<u>अभियुक्तों का विवरणः</u>

1. संजय उर्फ माईकल पुत्र अय्यपा निवासी डी-114 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली
2. अमित पुत्र सुन्दर राज निवासी म0न0 229 ब्लाक एच-1 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली
3.विक्रम पुत्र मनिअप्पा निवासी ब्लाक ए-फस्ट मकान न0 -241 मदनगीर दिल्ली
4.विग्नेश उर्फ विक्की पुत्र मुरगन नि0 हालपता म0नं0 42 जीवन पार्क ब्लाक डी-2 गली नं0 2ए उत्तम नगर दिल्ली।

<u>वांछित अभियुक्तो का विवरणः</u>

सिमरन पत्नी संजय उर्फ माईकल निवासी डी-114 मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः</u>

अभियुक्त संजय उर्फ माईकल पुत्र अय्यपा

1-मु0अ0स0 712/20 धारा 379/427 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2-मु0अ0स0 788/20 धारा 379/427 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3-मु0अ0स0 791/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4-मु0अ0स0 798/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
5- मु0अ0स0 795/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
6-मु0अ0स0 811/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
7-मु0अ0स0 719/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
8-मु0अ0स0 722/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
9-मु0अ0स0 812/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
10-मु0अ0स0 1071/20 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

2. साइबर हेल्प लाईन मुख्यालय, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अन्तर्राजीय गैंग के 04 सदस्य गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण --- दिनांक 13.03.2023 को साइबर हेल्प लाइन मुख्यालय व थाना फेस 1 पुलिस द्वारा भोले भाले लोगो को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अन्तर्राजीय गैंग के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह गैंग साईन डॉट कॉम वेबसाईट से नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों का डाटा खरीदकर उनको कॉल करके नौकरी डॉट कॉम से बताकर पहले तो रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर रूपये ले लेते थे, उसके बाद मल्टीनेशनल कम्पनियों से बताकर इन्टरव्यू आदि के नाम पर रुपये फर्जी खातों में डलवा लेते थे, तथा बाद में फोन बन्द कर लेते थे। जॉच के दौरान 04 अभियुक्तगण को जी-13 सेक्टर 06 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 लेपटॉप, 04 वॉकी-टॉकी फोन, एक स्मार्ट फोन, एक की-पैड फोन, 03 हार्ड डिस्क, एक डेबिट कार्ड बरामद।

अपराध करने का तरीकाः- अभियुक्तगण द्वारा साईन डॉट कॉम पर नौकरी के लिये किये गये आवेदनो का डाटा खरीदकर उन्हे नौकरी दिलाने के लिये कॉल करते है, अपने आपको नौकरी डॉट कॉम व मल्टीनेशनल कम्पनी से बताकर स्वंय ही उनका रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, और जॉब देने के नाम पर फर्जी खुलवाये गये खातों में पैसे लेते थे, परन्तु किसी को कोई नौकरी नही देते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0- 142/23 धारा 420/406 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना फेस-1 गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तों का विवरणः

1. अमित कुमार पुत्र कृष्णपाल नि0 एन 42 सेक्टर 25 नोएडा मूलनिवासी ग्राम आदमपुर थाना दोगट जिला बागपत।
2. दिव्य कुमार पुत्र रामकुमार नि0 मकान नं0 128 गली नं0 22 न्यू अशोक नगर दिल्ली
3. मेहुल दीप पुत्र प्रदीप कुमार नि0 ई-291 गली नं0 7 जगजीत नगर शास्त्री पार्क तीसरा पुस्ता दिल्ली
4. लव द्वेदी पुत्र राकरण द्वेदी नि0 ग्राम निठारी नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर मूलनिवासी स्टेशन रोड छावनी बाँदा

बरामदगी का विवरण-

1. 01 लेपटॉप
2. 04 वॉकी-टॉकी फोन
3. एक स्मार्ट फोन
4. एक की-पैड फोन
5. 03 हार्ड डिस्क
6. एक डेबिट कार्ड

3.थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा, विदेश में नौकरी दिलाने एवं फर्जी वीजा तैयार कर ठगी करके पैसा वसूल करने वाला 15,000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लेपटॉप, 02 मोबाइल फोन व विदेशी करैंसी बरामद।

<u>घटनाक्रम का विवरण---</u> आज दिनांक 14.03.2023 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 523/22 धारा 420/406/467/468/471/34 भादवि के अंतर्गत 15,000 रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त तरसेम सिंह पुत्र स्व0 गुरदीप सिंह मूल निवासी ग्राम बलखेडा थाना नानकमाता जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड हाल निवासी फ्लैट नं0 05 सृष्टि अपार्टमेण्ट गांगुली बागन दक्षिण कलकत्ता को कैलाश हॉस्पिटल के पास सेक्टर 71, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 लेपटॉप, 02 मोबाइल फोन व विदेशी करैंसी बरामद। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर सीधे.साधे लोगो को बहकावे में लेकर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम एवं फर्जी वीजा तैयार कर ठगी करके पैसा वसूल करने का कार्य करते थे। अभियुक्त के अन्य साथी पूर्व में ही जेल भेजे जा चुके ,अभियुक्त भेष बदलकर अलग.अलग स्थानों पर अपराध कारित करता था कोलकाता पश्चिम बंगाल पंजाब उधम सिंह नगर दिल्ली नोएडा सभी स्थानों पर रहकर लोगों को विदेश भेजकर नौकरी लगवाने के नाम से पासपोर्ट लेकर नकली वीजा बनवाने का काम था अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे का मास्टरमाइंड है।

<u>अभियुक्त का विवरणः</u>

तरसेम सिंह पुत्र स्व0 गुरदीप सिंह मूल निवासी ग्राम बलखेडा थाना नानकमाता जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड हाल निवासी फ्लैट नं0 05 सृष्टि अपार्टमेण्ट गांगुली बागन दक्षिण कलकत्ता

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः</u>

मु0अ0सं0 523/22 धारा 420/406/467/468/471/34 भादवि थाना सेक्टर 63, नोएडा गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

01 लेपटॉप, 02 मोबाइल फोन व विदेशी करैंसी